



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 505 राँची, मंगलवार,

22 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई, 2020

संख्या-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का०-3349-- झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तालिका-1 में उल्लिखित स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के 02 सेवाओं के सम्बन्ध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारों, द्वितीय अपील प्राधिकारों तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है:-

तालिका-1								
क्र०	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय-सीमा
1	स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग	(JSSK) जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं और एक वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को -निःशुल्क दवा -निःशुल्क भोजन (सामान्य प्रसव में तीन दिनों तक एवं सिजेरियन में सात दिनों तक) -निःशुल्क जाँच - निःशुल्क रक्त - निःशुल्क परिवहन	1) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2) उपाधीक्षक सदर अस्पताल 3) उपाधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	40 दिन	1) सिविल सर्जन 2) सिविल सर्जन 3) अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	30 दिन	अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची	15 दिन
2		(JSY) जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/ एम.ओ.यू. किये गए निजी अस्पताल में प्रसव के उपरान्त शहरी क्षेत्र में 1000/- ग्रामीण क्षेत्र में 1400/-रु० का भुगतान	1) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2) उपाधीक्षक सदर अस्पताल 3) उपाधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	40 दिन	1) सिविल सर्जन 2) सिविल सर्जन 3) अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	30 दिन	अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची	15 दिन

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रभूषण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव
